

उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

जमुआ अंचल के अन्तर्गत 132KVD/C गिरिडीह सरिया ट्रॉसमिशन लाईन हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-


क्र0	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा(हे0 में)
1	गिरिडीह	गिरिडीह	करहरबारी	194	234	334	0.321
2					236	188	0.920
3					234	323	0.115
4					236	13	0.813
5					283	348	0.330
6					236	3	0.823
7					234	339	0.160
8			लोहपिट्टी	108	97	900	0.170
9			करमाटॉड	111	1	132	0.044
10			जीतपुर	110	26	360	1.029
11			डोंगरा	115		12	0.329
12			कसियाडीह	156	1	81	0.620
13					1	36	1.144
14					1	2	1.214
15			चरपोका	158		3	1.169
16			कोदैडीह	173	5	5	1.451
17					5	31	0.996
18					5	33	0.182
19					5	44	1.069
20					5	47	0.118
21					5	6	0.164
22			पहाड़पुर	150	2	1181	0.150
23		बिरनी	तुलसीटॉड	129	92	752	1.101
24					92	754	1.208
25			जमुनियाटॉड	112	7	2	0.107
26					7	5	1.165
27					7	223	0.449
28					7	208	0.096
कुल=							17.457

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 17.457 हे0 में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर हैं, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।


उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1231 दिनांक 18/07/2018

प्रतिलिपि: विधुत अधीक्षण अभियन्ता, संचरण अंचल हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।


उपायुक्त, गिरिडीह।